

अधिकारी उत्तम कुमार
होने से प्रकरण दिनांक 27/12/23
में पेश हो।


आज्ञा


श.उ.

27.12.23

पत्रावली पेश हुई। वादी अडपस्थित। वादी को पूर्व में लंशोक्ति-
अनवान एवं राजीनामा प्रस्तुत करने अन्तिम अवसर दिनांक 15/12/23
बावजूद वादी द्वारा नही राजीनामा प्रस्तुत किया गया एवं नही उपस्थित
हुए। न्यायालय द्वारा रुक-रुक कर तीन बार आवाज लगावाई गई।
न्यायालय समय लगाए तक कोई उपस्थित नही हुआ। जिला जस्टिस
होगा है कि वादी अपने वाद के प्रति गंभीर नही है एवं नही वाद
चलाना चाहता है।

अतः वादी का वाद आदेश 9 नियम 8 के तहत अदम
दाजरी अदम पेशी में खरिज किया जाता है। निर्णय लोरे अज्ञान
सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम है।
पत्रावली में प्रस्तुत लगातार अर्थात् विना उचित प्रमाण के निस्तारित किए जाते हैं।


प्रतिभा वर्मा

IAS

उपखण्ड अधिकारी
गिवां, उदयपुर

दिनांक 27/12/23